

**न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा  
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)**

अपील संख्या 2023/88

दायरा दिनांक : 26.06.2023

उनवान

चन्द्रकांति बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी स्व० कल्याण, जाति मेघवाल, निवासी माथनी, हाल निवासी शीतला चौक, खानपुर, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1. चौधमल पुत्र जगन्नाथ
2. नवलबाई उर्फ मंजूबाई पुत्री जगन्नाथ
3. प्रभूलाल पुत्र जगन्नाथ
4. मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ  
जातियान मेघवाल, निवासीगण माथनी, तहसील व जिला बारां
5. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार बारां

.... रेस्पोंडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपरिस्थित - श्री नरेन्द्र कुमार नंदवाना अभिभाषक अपीलांट की ओर से  
श्री दीपक शर्मा अभिभाषक रेस्पोंडेंट की ओर से



निर्णय

दिनांक : 07.01.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या - 165/2020 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि प्रार्थीया/वादिया के शामलाती कब्जे, काश्त व स्वामित्व की आराजी खसरा नम्बर 708 रकबा 0.02 हेक्टर खेडा, खसरा नम्बर 709 रकबा 0.09 हेक्टर खेडा, खसरा नम्बर 712 रकबा 0.16 हेक्टर खेडा, खसरा नम्बर 713 रकबा 0.10 हेक्टर खेडा कुल किता 4 कुल रकबा 0.37 हेक्टर वाके माल माथनी, पटवार हल्का माथना तहसील व जिला बारां में अवस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2022 से वादिया का वाद खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां द्वारा ग्राम माथनी की आराजी खसरा नम्बर 708 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 709 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 712 रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 713 रकबा 0.10 हेक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.37 हेक्टर बाबत वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें वादिया/अपीलांट द्वारा अपना नाम टंकण त्रुटि से चन्द्रकांतिबाई के स्थान पर कांतिबाई दर्ज हो गया है जिसे दुरुस्त कराने की सहायता चाही गई थी तथा प्रतिवादीगण 1 ता 4/रेस्पों की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया गया तथा वादिया/अपीलांट द्वारा वादपत्र के समर्थन में आधार कार्ड, जन आधारकार्ड, पेनकार्ड, राशनकार्ड आदि दस्तावेज पेश किये

गये हैं फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया गया, न न्याय की मंशा को समझने का प्रयास किया गया केवल यह मानकर कि धारा 88, 89, 90 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नाम दुरुस्त नहीं किया जा सकता है यह मानकर वादिया/अपीलांट का वाद निरस्त किया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय की मंशा को समझने में भारी भूल की गई है इस कारण निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2022 पारित की गई है जो खिलाफ कानून होने से काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो कानून की मंशा को समझा गया न न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों पर कोई गौर किया गया जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी प्रकार की घोषणा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के वाद में न्यायालय को करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी पहलू पर कोई गौर न करके मनमाना व विधि विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2022 पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2022 प्रकरण संख्या 165/2020 बउनवान चन्द्रकांति बाई बनाम चौथमल वगैराह निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम माथनी की विवादित आराजियात में अपीलांट का नाम कांतिबाई के स्थान पर चन्द्रकांतिबाई किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।



अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 09.02.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि चन्द्रकान्ति का नाम कान्ति दर्ज हुआ है इस बाबत हमने दुरुस्ती का दावा पेश किया जो खारिज हुआ है। जवाब सरकार लेकर तथ्यों की जांच करवाकर निर्णय हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रैस्पोंडेंट ने कथन किया कि हमें नाम दुरुस्त करने तक किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 90 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण रैस्पोंडेंट के वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि "प्रार्थीया/वादिया के शामिलती खाते कब्जे काश्त व स्वामित्व की आराजी खसरा नम्बर 708 रकबा 0.02 हेक्टर खेडा, खसरा नम्बर 709 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 712 रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 713 रकबा 0.10 हेक्टर कुल किता 04 कुल

*(Handwritten signature)*

रकबा 0.37 हेक्टर वाके माल माथनी, पटवार हल्का माथना, तहसील व जिला बारां में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीया/वादिया का 1/5 हिस्सा निहित है। जिस पर प्रार्थीया/वादिया काबिज काश्त चली आ रही है। लेकिन सहवन से खाता सं० नया 140 पुराना 96 में काश्तकार का नाम कम 1 पर खातेदार के नाम में कान्तिबाई पुत्री जगन्नाथ गलत दर्ज हो गया है। जबकि चन्द्रकान्ति बाई पुत्री जगन्नाथ होना चाहिए था। खातेदार का नाम कान्तिबाई गलत है। खातेदार वास्तविक नाम चन्द्रकान्ति बाई है। परिचय पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि दस्तावेजों में भी नाम चन्द्रकान्ति बाई है। जो वर्तमान में सभी दस्तावेजों में कायम है। उक्त गलती सहवन से खाते में कायम चली आ रही है।" खातेदार के नाम में कान्तिबाई पुत्री जगन्नाथ गलत दर्ज हो गया है, जिसके स्थान पर चन्द्रकान्ति बाई पुत्री जगन्नाथ दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।



अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण सहखातेदारान की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन एवं उभयपक्ष की सुनवाई के पश्चात् अपने निर्णय दिनांक 30.12.2022 से वादिया अपीलांट का वाद खारिज कर निर्णय पारित किया कि "पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम माथनी सम्वत् 2071-74 खाता सं. 140, में वादिया का नाम कान्तिबाई दर्ज है। प्रस्तुत नकल, फोटोप्रति आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशनकार्ड व प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत खानपुर के अनुसार चन्द्रकान्ति बाई दर्ज है। पेनकार्ड में चन्द्रकान्ति बाई दर्ज है। वादिया द्वारा मात्र जमाबन्दी की नकल पेश की है। ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व रिकार्ड पेश नहीं किया। जिससे वादिया का नाम क्या था और कैसे गलत किया गया। वादिया द्वारा दावा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का किया है। धारा 88, 89, 90 आर०टी० एक्ट के तहत नाम दुरुस्त नहीं किया जाता है। खातेदारी अधिकार दिये जाते हैं। ऐसी स्थिति में वादिया का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।"

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट वादिया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम माथनी सम्वत् 2071-2074 खाता संख्या 140 में सहखातेदार के रूप में कान्तिबाई पुत्री जगन्नाथ का नाम दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट वादिया द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज नकल आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड के अनुसार अपीलांट वादिया का नाम चन्द्रकान्ति बाई पत्नी रामकल्याण दर्ज है। इसी प्रकार नकल पेन कार्ड के अनुसार चन्द्रकान्ति बाई पुत्री जगन्नाथ दर्ज है परन्तु उक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट नहीं होता कि कान्तिबाई एवं चंद्रकान्ति बाई एक ही महिला है। साथ ही अपीलांट द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि जमाबन्दी में नाम की गलती कब और कैसे हुई। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज एवं रेस्पोंडेंट के इकबाली जवाब से यह स्पष्ट नहीं होता कि कान्तिबाई पुत्री जगन्नाथ एवं चंद्रकान्ति बाई पत्नी रामकल्याण दोनों एक ही महिला है। अतः अपील के इस स्तर पर हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2022 बंधावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्थान अपील प्राधिकारी, कोटा

# डिक्री व सीगे अपील

Iud/Civ  
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा  
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

चन्द्रकांति बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी स्व०  
कल्याण, जाति मेघवाल, निवासी माथनी,  
हाल निवासी शीतला चौक, खानपुर, जिला  
झालावाड

बनाम

1. चौथमल पुत्र जगन्नाथ
2. नवलबाई उर्फ मंजूबाई पुत्री जगन्नाथ
3. प्रभूलाल पुत्र जगन्नाथ
4. मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ  
जातियान मेघवाल, निवासीगण माथनी, तहसील व  
जिला बारां
5. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार बारां

.... अपीलांत

.... रेस्पोंडेंट

अपील नं 2023/88  
मु.द.नं० 165/2020

एवं नाराजगी डिक्री अदालत - उपखण्ड अधिकारी, बारां  
निर्णय व डिक्री दिनांक - 30.12.2022

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 10 माह 12 सन् 2024


श्री नरेन्द्र कुमार नंदवाना अभिभाषक अपीलांत की ओर से, श्री दीपक शर्मा अभिभाषक रेस्पोंडेंट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :-

अपील अपीलांत खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री  
दिनांक 30.12.2022 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 07 माह 01 सन् 2025 को जारी किया गया ।



  
(दीप्ति रामचन्द्र मीना)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज०)